BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 22-2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

HARISH SOLANKI **…APPLICANT**

Versus

STATE OF MP & ORS **….RESPONDENTS**

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Report in the matter of Hon'ble NGT central Zone Bench, Bhopal in OA No. 22/2024		1-5
2.	Inspection report dated 14/03/2024	Annexure- 1	6-7
3.	Copy of clouser order dated 08/06/2023	Annexure- 2	8-9
4.	Copy of letter dated 14/07/2023	Annexure- 3	10-11
5.	Inspection report dated	Annexure -4	12-14
6.	Copy of the revised direction Ietter issued to the unit	Annexure- 5	15-16
7.	Notice to the industry to deposit environment compensation of Rs. 12,40,000/_ has been sent by the Regional Office letter no. 1045 dated 2l/0312024	Annexure- 6	17-19
8.	Copy of the letters dated 05/03/2024 & 21/03/2024	Annexture - 7&8	20-21
9.	Report by District Forest officer Burhanpur has sent report regarding cutting & felling of trees	Annexture - 9	22-23

Date: 03.04.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Report

Report in the matter of Hon'ble NGT OA No. 22/2024 (CZ) (Harish Solanki V/s State of Madhya Pradesh & Ors.) in compliance of the Hon'ble NGT directions dated 13/02/2024

Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal vide its Order dated 13.02.2024 in O.A. No. 22/2024 (Harish Solanki V/s State of Madhya Pradesh & Ors.) directed as under :-

1. *Issue raised in this application is violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in the river Tapti causing fish mortality and violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 adversely affecting the birds life by the industrial waste in the district Burhanpur, Madhya Pradesh.*
2. *It is further alleged that CETP has been installed but they are not functional and there are rampant cutting of forest trees, burning of forage resulting in cattle mortality due to hunger and tires are burnt in boilers causing serious air pollution and health hazard.*
3. Vide order dated 10.01.2023 a committee was constituted consisting *District Magistrate, Burhanpur, M.P. and the representative of the State Pollution Control Board with direction to submit the factual and action taken report. The report reveals following violations:-*

    i. *There are approximately 40 number of small scale units installed in the industrial area of Emagird, Burhanpur, Madhya Pradesh, which is located on the banks of the Tapti River.*

    ii. *During the inspection the industry named M/s Rehmaniya Textile 299/1-2, Gram-Fatehpur was found violating the consent condition by storing waste water in Kaccha Pond and not disposing to CETP.*

iii. *Notices were issued to M/s Rehmaniya Textile, a cloth process unit for violating the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.*

iv. *There are no provisions of treatment of untreated water.*

v. *The ETP was found non-operational and the untreated water was collected outside the campus. There are huge quantity of water which is untreated at the place of lagoon.*

vi. *The dissolved solid, suspended solids, chloride, BOD and COD was found violating the prescribed norm. CETP was not found operational as per standard parameter.*

vii. *The water which was sent to CETP for treatment was found to be directly discharged through Nala to the Tapti River.*

4. *A report was called from the Forest Department for cutting of the trees but nothing has been reported by the Forest Department.*

5. *In light of above illegalities and violations of the Environment (Protection) Act, 1986, the State Pollution Control Board is directed to take remedial measures and take action against the unit violating the environmental norms and to submit the report. The environmental compensation for violation must be calculated and reported and further action be taken by the Pollution Control Board. Forest Department should be reminded to report with regard to the cutting and felling of the trees in violation of rules.*

Action Taken Report

1. **Actions tanken against M/s Rehmaniya Textiles, 299/1-2, Gram-Fatehpur, District-Burhanpur (M.P.)** :-

A. Current Status of the industry :

M/s Rehmaniya Textile, Village-Fatehpur has been inspected on dated 14/03/2024 to verify the current status of the industry. Inspection is report is enclosed as **Annexure-1**. The industry has been found closed and as per inspection report the industry is not in operation from dated 21/06/2023.

B. Action taken against the industry due to violation of environmental norms :

1. M/s Rehmaniya Textile was found violating the consent conditions by storing wastewater in kuchcha pond and not disposing the effluent to CETP during inspection dated 17/02/2023, therefore, notice U/s 33-A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 was issued vide letter no. 831 dated 06/03/2023. Status report was submitted to Hon'ble NGT Principal Bench in Application O.A. No. 835/2022.

2. It is submitted that the Board had taken further action and issued closure direction U/s 33-A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 to close the production vide Regional Office letter no. 2079 dated 08/06/2023 to the unit. Copy of the closure order is enclosed as **Annexure-2**.

3. In compliance of the above Closure Order, Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitran Company (i.e. MPSEB) has disconnected the electricity supply on dated 21/06/2023. Therefore industry was closed from dated 21/06/2023.

4. A letter dated 14/07/2023 was submitted by the industry with mentioning that industry is closed from 21/06/2023 and directions of Board has been complied for. The industry had requested to issue revised directions to restart the plant. Copy of letter dated 14/07/2023 is enclosed as **Annexure-3**.

5. The industry was inspected on dated 18/07/2023 in reference of industry letter dated 14/07/2023 and the industry was found closed due to disconnection of electricity. Wastewater from kuchcha pond had been disposed to CETP for treatment and disposal. Similarly improvement in ETP was also observed. Copy of the inspection report is enclosed as **Annexure-4**.

6. After due verification and compliance of directions issued under the Water Act, revised directions were issued vide letter no. 2722

dated 26/07/2023 to restart the plant. Copy of the revised direction letter issued to the unit is enclosed as **Annexure-5**.

7. The industry has been verified time to time and it has been found that the industry has still not started production and still closed. Industry has been inspected again on dated 14/03/2024 and was found closed. No wastewater was observed in Effluent Treatment Plant (ETP) because it was operating for a long time. It was also observed that the kuchacha pond, which were earlier in existence and wastewater was found accumulated during inspection dated 17/02/2023, now the pond has been dismantled and the land was observed levelled. Copy of inspection report has already been enclosed as Annexure-1.

8. In compliance of Hon'ble NGT Order dated 13/02/2024, it is submitted that environmental violation by M/s Rehmaniya Textile was found from dated 17/02/2023 to 21/06/2023 and accordingly environment compensation has been calculated as per the guideline issued by CPCB. Notice to the industry to deposit environment compensation of Rs. 12,40,000/- has been sent by the Regional Office letter no. 1045 dated 21/03/2024. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-6**.

2. **Report of Forest Department with regard to tree cutting & felling :**

Hon'ble NGT has also directed to remind Forest Department with regard to the cutting and felling of the trees in violation of the rules vide its order dated 13/02/2024.

It is pertinent to submit that reminder letter no. 852 dated 05/03/2024 & letter no. 1010 dated 21/03/2024 have been sent. Copy of the letters dated 05/03/2024 & 21/03/2024 are enclosed as **Annexure-7 & 8** for reference.

It is submitted that for District Forest Officer Burhanpur has sent report regarding cutting & felling of trees vide letter no. 1334 dated 27/03/2024. Copy of the report is enclosed as **Annexure-9.** As per the report forest department has taken action against the persons who were involved in the cutting of trees and controlled the illegal cutting of forest trees with the help of Police & District Administration. Approx 150 persons were arrested and sent to the jail. Forest department is continuously monitoring the activity of invaders by drones also. Night

patrolling has being done in internal part of the forest area. Details of action taken may be perused in the report submitted by the Forest department.

Conclusion :

1. M/s Rehmaniya Textile has been found closed and it is closed from dated 21/06/2023. The industry has violated the environmental laws to 17/02/2023 to 21/06/2023 and therefore accordingly in compliance of Hon'ble NGT directions, environment compensation has been calculated and notice has been sent to the unit to deposit Rs. 12,40,000/- as environment compensation.

2. The Forest Department through District Forest Officer Burhanpur has been informed also to submit the reports regarding cutting of trees in compliance of the directions. The Forest Department has submitted report with regard to cutting and felling of trees and the taken action to control illegal cutting in forest area.

Enclosures: As above

(Ankit Baghel) District Environment Officer, MPPCB, Khandwa	(Atul Kotiya) Scientist MPPCB, Indore	(S N Dwivedi) Regional Officer MPPCB Indore

Annexure–1

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: **romppcb_indore@rediffmail.com**

निरीक्षण प्रतिवेदन

विषय :– मेसर्स रेहमानिया टेक्सटाईल, प्लॉट नं 299/1/1–2, ग्राम– फतेहपुर, जिला बुरहानपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा मूल आवेदन कमांक 22/2024 (CZ) में दिनांक 13.02.2024 को पारित आदेश।

उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स रेहमानिया टेक्सटाईल, प्लॉट नं 299/1/1–2, ग्राम– फतेहपुर, जिला बुरहानपुर का निरीक्षण दिनांक 14.03.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण में निम्नानुसार स्थिति पाई गई है :–

1. यह कि, उद्योग बंद पाया गया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि श्री मोहम्मद जक्की हासमी द्वारा बताया गया कि उद्योग जून–2023 से बंद है तथा उत्पादन में नहीं है।
2. यह कि, उद्योग परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें उद्योग द्वारा स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) में दूषित जल का संग्रहण नहीं पाया गया, जिसके कारण ईटीपी बंद पाया गया। ईटीपी के आस–पास एवं परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के दूषित जल का भण्डारण तथा निस्सारण नहीं पाया गया।
3. यह कि, दिनांक 17.02.2023 में किये गये निरीक्षण में उद्योग के पीछे कच्चे पोण्ड में दूषित जल भरा पाया गया था तथा दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं होने एवं दूषित जल को कच्चे पॉण्ड में भण्डारित करने के कारण उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के अंतर्गत उद्योग बंद करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त कच्चा पॉण्ड वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है तथा जेसीबी से उक्त भूमि को पूर्णतः समतल कर दिया गया है। इस प्रकार उद्योग परिसर के आस–पास ना तो दूषित जल का भण्डारण है और ना ही कच्चा पॉण्ड वर्तमान में विद्यमान है।
4. उद्योग का विद्युत विच्छेद दिनांक 21.06.2023 को म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया गया था, तत्पश्चात् से उद्योग बंद बताया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– फोटोग्राफ्स।

(अंकित बघेल),
जिला पर्यावरण अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खण्डवा

(अतुल कोटिया),
वैज्ञानिक,
क्षेत्रीय प्रयोशाला,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर

Inspection Photograph

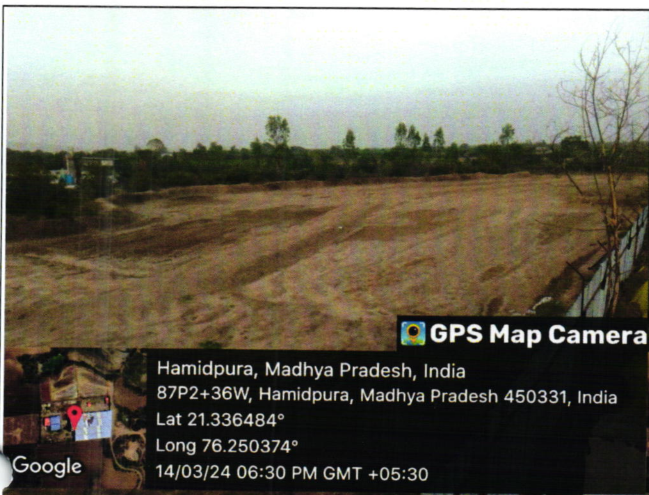

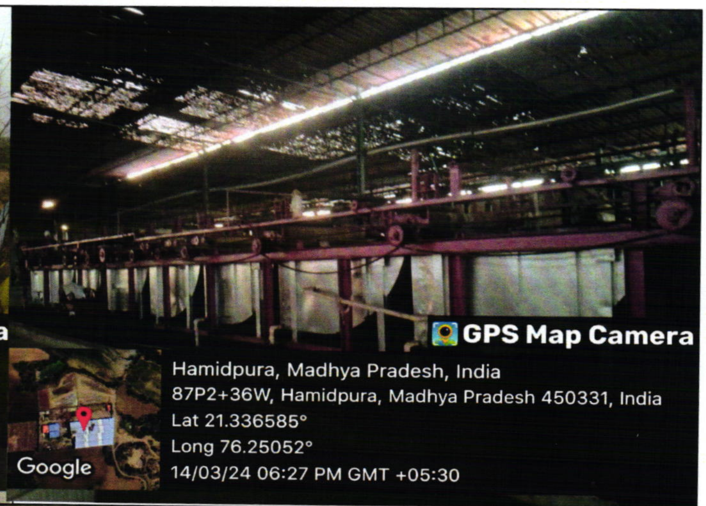

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 2079/तक.शा./23 इन्दौर, दिनांक 08/06/2023

प्रति,

अधिष्ठाता,
मेसर्स रेहमानिया टेक्सटाईल,
299/1–2, ग्राम–फतेहपुर,
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के अंतर्गत उद्योग प्रकिया बन्द करने के निर्देश।

संदर्भ :–
1. उद्योग का निरीक्षण दिनांक 17.02.2023
2. बोर्ड द्वारा जारी नोटिस कमांक 831 दिनांक 06.03.2023
3. आपका पत्र दिनांक 15.03.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि क्षेत्रीय कार्यालय, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :–

(1) यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ–साथ वायु अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

(2) यह कि, नियमानुसार प्रत्येक उद्योग को उत्पादन करने हेतु नियमानुसार बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड से प्राप्त सम्मति पत्र में दर्शित शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

(3) यह कि, आपके द्वारा क्लोथ प्रोसेस का कार्य किया जाता है, जिसके लिये बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत सशर्त सम्मति प्रदान की गई है। प्रमुख शर्तों में से उद्योग से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित कराना एवं दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण नही करना है।

(4) यह कि, बुरहानपुर स्थित टैक्सटाईल उद्योगों से जल प्रदूषण फैलने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 17.02.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर एवं जिला कार्यालय खण्डवा के अधिकारियों द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपके उद्योग का ई.टी.पी. बन्द पाया गया एवं दूषित जल परिसर के बाहर पाया गया, जिसका नमूना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 21 के प्रावधान अंतर्गत किया गया है। निरीक्षण दिवस उद्योग परिसर के पास कच्चे लैगून में दूषित जल का भंडारण पाया गया है। विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार भंडारित दूषित जल में डिजाल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिडस, क्लोराईड, बी.ओ.डी. एवं सी.ओ.डी निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये है। इस प्रकार आपके उद्योग से निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक तत्वों वाला दूषित जल का निस्सारण किया जाना पाया गया।

(5) यह कि, आपके उद्योग को शून्य निस्सारण बनाये रखने की शर्त के साथ सम्मति दी गई है, परन्तु आपके द्वारा दूषित जल का निस्सारण कर शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 25 का उल्लंघन है।

उपरोक्त आधार पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क के अंतर्गत निर्देश देने के पूर्व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 831 दिनांक 06.03.2023 द्वारा आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया गया था। उक्त नोटिस के जवाब में आपके पत्र दिनांक 15.03.2023 द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31–क के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

1. यह कि, आपके द्वारा उद्योग का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जावेगा।
2. यह कि, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर द्वारा उद्योग का विद्युत प्रदाय तत्काल विच्छेदित किया जावेगा।
3. यह कि संबंधित संस्थान द्वारा उद्योग का जल प्रदाय बंद किया जावेगा।
4. यह कि उद्योग का संचालन तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि:–

(अ) यह कि उद्योग प्रबंधन द्वारा दूषित जल के उपचार की प्रभावी व्यवस्था नहीं कर ली जाती एवं दूषित जल का निस्सारण पूर्णतः बन्द नही किया जाता।

(ब) यह कि उपचारित दूषित जल का निपटान सम्मति शर्त के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया जाता।

उपरोक्त जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा निर्देश के उल्लंघन हेतु जल अधिनियम की धारा 41 (2) के अंतर्गत न्यायालीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर

पृ.क्र0 2080 /तक0 /2023 इन्दौर, दिनांक 08/06/2023

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री (संचालन एवं संधारण), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर की ओर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त उद्योग को प्रदायित विद्युत विच्छेदन करने का कष्ट करें एवं की गई कृत कार्यवाही की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. गार्ड फाईल।

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर

Annexure-3

Rehmaniya Textile.
A Name On Which You Trust.
GSTIN NO. – 23AFXPH4970C1ZC.
K.NO. 299/1/2 GRAM FATEHPUR
DIST.BURHANPUR (M.P)

Mo. No. - +91-9098004059.
Email- rehmaniyatextile@gmail.com.
Gram Fathepur.
Burhanpur 450331 (M.P).

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर
आवक क्र 2308
दिनांक 21/07/23

प्रति,
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर मध्यप्रदेश

1. मेसर्स रेहमाननिया टेक्टाईल्स 299/1/1–2 ग्राम फतेरपुर जिला बुरहानपुर म.प्र.
—— आवेदक/निवेदनकर्ता

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम 1974 कि धारा 33–क के अंतर्गत उद्योक प्रकिया बंद करने के निर्देश के उत्तर बाबत तथा आदेश मे दिये गये निदोर्शो का पालन किया जाकर पुनः संबंधीत जॉच टिम को भेजने व निरीक्षण करवाकर पुनः आदेश को निरस्त कर आवेदक की फर्म को पुनः चालु करवाने सहमति देने बाबत

आवेदक निवेदन करता है:——

1. यह कि आपके कार्यालय के पत्र दिंनाक 08.06.2023 का कमांक 2079 प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक के ई टी पी प्लान्ट मे अनियमितता पाये जाने के कारण कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।
2. यह कि श्रीमान द्वारा आवेदक के ई टी पी प्लान्ट मे जो कमिया पायी गयी थी आवेदक द्वारा उसे पुनः दुरूस्त करवा लिया गया है अब आवेदक के प्लान्ट मे किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा अनियमितता नही है श्रीमान पुनः आवेदक के प्लान्ट मे जॉचदल को भेजकर निरीक्षण करवा सकते है।
3. यह कि आवेदक के प्लान्ट का श्रीमान के आदेश के परिपालन मे बुरहानपुर विघुत मंडल द्वारा विघुत कनेक्शन दिंनाक 21.06.2023 को विच्छेदित कर दिया गया है तथा विघुत कनेक्शन होने को 24 दिन हो चुके है आवेदक का प्लान्ट बंद हो जाने के कारण उसमे कार्यरत कर्मचारी लगभग 100 से 125 प्रभावित हुये है कुछ तो काम छोडकर चले गये है। आवेदक का कारोबार बंद हो गया हो जाने से आवेदक को आर्थिक हानि एवं उसके व्यवसाय जगत मे ग्रहक एंव व्यापारी भी प्रभावित हो रहे है और आवेदक कि छबी भी धुमिल हो रही है।

DEOK

4. यह कि इस आवेदन के साथ आवेदक श्रीमान को आश्वस्त करता है कि भविष्य मे आवेदक के प्लान्ट मे किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता नही बरती जायेंगी श्रीमान के आदेशो का कढाई से पालन होगा ओर किसी भी नियम का उल्लंधन नही होंगा । यदि पाया जाता है तो श्रीमान कठोर से कठोर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतःश्रीमान से निवेदन है कि आवेदक को दिये गये पत्र दिंनाक 08.06.2023 व क 2079 मे दिये गये आदेश को पुनः वापस लेते हुये आवेदक के प्लान्ट को चालु करने के अनुमति व विघुत कंपनी को विघुत कनेक्शन जोडने के निर्देशे देने की कृपा करे।

बुरहानपुर मप्र
दिनांक– 14.07.2023

[illegible] Textile
Proprietor

प्रतिलीपी ––

1.श्रीमान कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर
सूचनार्थ

2. अधीक्षण यंत्री (संचालन एवं संधारण) म प्र पश्चिम क्षेत्र विघुत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर की और जल(प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क मे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित कियाजाता है कि उक्त उद्योग को प्रदाचित विघुत (विच्छेदन करने का कष्ट करें एवं की गई कृत कार्यवाही की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करे ।

Annexure-4

जिला कार्यालय, खण्डवा
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण .बोर्ड

e-mail:deomppcb_khandwa@rediffmail.com,
website:www.mppcb.nic.in

निरीक्षण प्रतिवेदन

मेसर्स रेहमानिया टेक्सटाईल, प्लॉट नं 299/1/1–2, ग्राम– फतेहपुर, जिला बुरहानपुर संचालक श्री मोहम्मद जक्की हासमी के उद्योग को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 21 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2026 तक सम्मति जारी की गई है। उद्योग में कपडा प्रोसेसिंग संबंधित कार्य किया जाता है। उद्योग का पूर्व में दिनांक 17.02.2023 को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान उद्योग का ई.टी.पी प्लांट बन्द पाया गया व उद्योग परिसर के पास कच्चे लैगून में अनुपचारित दूषित जल का भण्डारण पाया गया था। विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार भण्डारित दूषित जल निर्धारित मानको से अधिक पाया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर द्वारा उद्योग को पंत्र कमांक 2079/तक.शा./2023 दिनांक 08.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के अंतर्गत उद्योग प्रक्रिया बन्द करने के निदेश जारी किये गये थे। उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 14.07.2023 द्वारा विद्युत संयोजन हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.07.2023 को पुनः निरीक्षण किया गया। मौके पर पाई गई वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

1. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर द्वारा विद्युत विच्छेदन किया जा चुका है। उद्योग द्वारा ईटीपी प्लांट में सुधार कर लिया गया है व साथ ही फ्लो मीटर भी स्थापित किया गया।
2. उद्योग में 1.5 टन का बॉयलर है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर स्थापित है।
3. उद्योग परिसर के पास पूर्व में स्थापित कच्चे लैगून को डिस्मेंटल कर समतल कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ <u>संलग्नक–1</u> अनुसार है।

निष्कर्ष :–क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर द्वारा उक्त उद्योग को पत्र क्रमांक 2079/तक.शा./2023 दिनांक 08.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के अंतर्गत उद्योग प्रक्रिया बन्द करने के निर्देश जारी किये गये थे। जिसके परिपालन में उद्योग द्वारा आवश्यक सुधार कर लिया गया है, जिसका भौतिक सत्यापन निरीक्षण के दौरान किया गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के तहत् म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर को विद्युत संयोजन हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अंकित बघेल
जिला पर्यावरण अधिकारी,
खण्डवा

निरीक्षण फोटोग्राफ

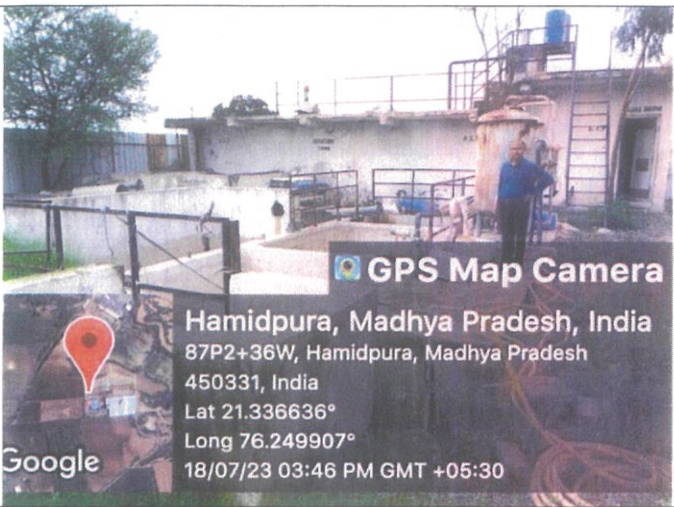
GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya Pradesh
450331, India
Lat 21.336636°
Long 76.249907°
18/07/23 03:46 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya
Pradesh 450331, India
Lat 21.336623°
Long 76.249976°
18/07/23 03:50 PM GMT +05:30
Google

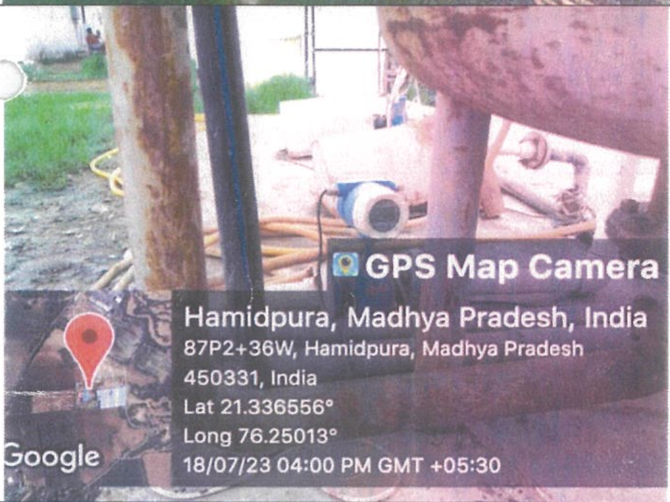
GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya Pradesh
450331, India
Lat 21.336556°
Long 76.25013°
18/07/23 04:00 PM GMT +05:30
Google

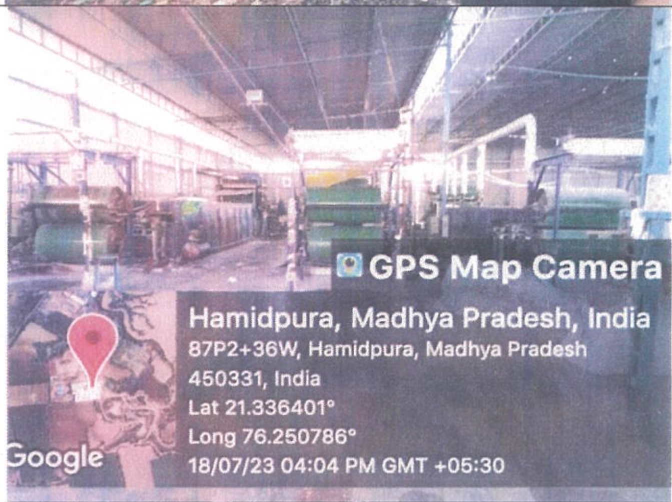
GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya Pradesh
450331, India
Lat 21.336401°
Long 76.250786°
18/07/23 04:04 PM GMT +05:30
Google

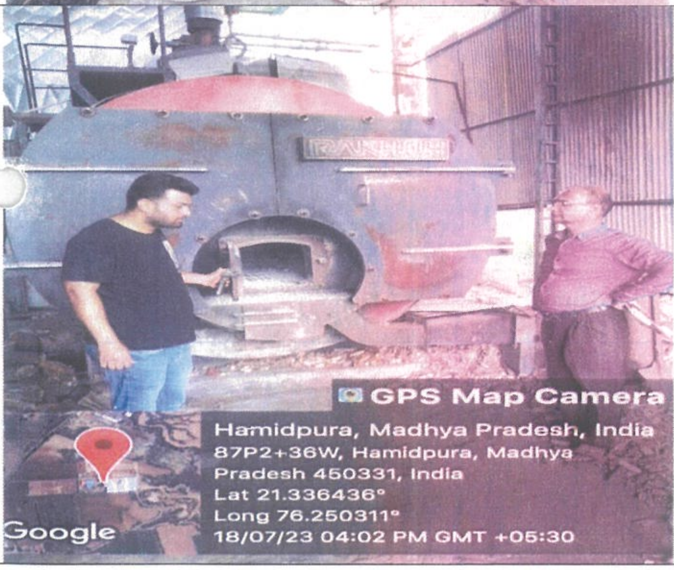
GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya
Pradesh 450331, India
Lat 21.336436°
Long 76.250311°
18/07/23 04:02 PM GMT +05:30
Google

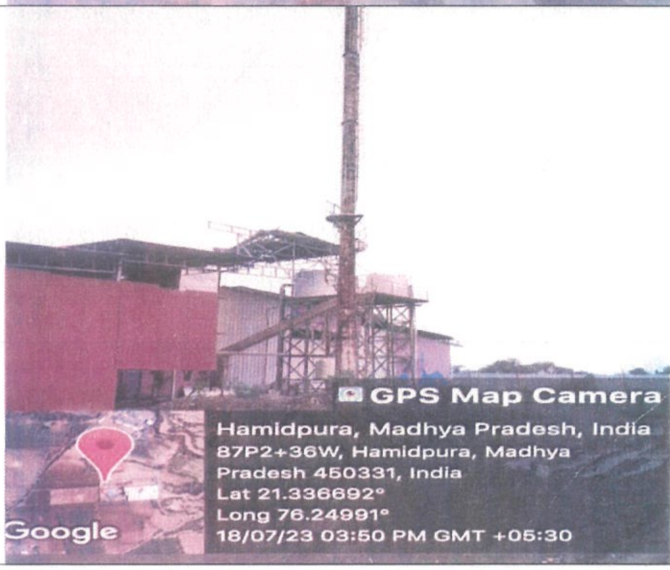
GPS Map Camera
Hamidpura, Madhya Pradesh, India
87P2+36W, Hamidpura, Madhya
Pradesh 450331, India
Lat 21.336692°
Long 76.24991°
18/07/23 03:50 PM GMT +05:30
Google

Annexure-5

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

LiFE Lifestyle For Environment

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 2722/क्षे.का.इं./2023 इन्दौर, दिनांक 26/07/2023

प्रति,

अधिष्ठाता,
मेसर्स रेहमानिया टेक्सटाईल,
प्लॉट नं 299/1/1–2,
ग्राम–फतेहपुर, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के अंतर्गत उद्योग प्रक्रिया संचालित करने के संबंध में संशोधित निर्देश।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र कमांक 831, दिनांक 06.03.2023
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 2079, दिनांक 08.06.2023
3. आपका पत्र दिनांक 14.07.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, उद्योग द्वारा जल सम्मति शर्तों का पालन नही होना पाया गया। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र कमांक 02 द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया बंद करने व म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशों के परिपालन में म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (संचा–संधा) वृत्त बुरहानपुर द्वारा उद्योग का विद्युत विच्छेदन दिनांक–21.06.2023 को कर दिया गया है। आपके संदर्भित पत्र कमांक निरंक दिनांक 14.07.2023 द्वारा निर्देशों का पालन कर लेने तथा उद्योग की उत्पादन प्रकिया प्रारंभ कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में बोर्ड के अधिकारी द्वारा आपके उद्योग का दिनांक 18.07.2023 को पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उद्योग से उत्पादन बंद पाया गया तथा उद्योग का विद्युत प्रदाय भी बंद किया जा चुका है। निरीक्षण में पाई गई स्थिति के अनुसार उद्योग परिसर के पास कच्चे लैगून में दूषित जल का भण्डारण नहीं पाया गया तथा उद्योग द्वारा सीईटीपी में उपचार हेतु दूषित जल का परिवहन कराने के पूर्व दूषित जल का उपचार परिसर में स्थापित ईटीपी में किये जाने बावत् आवश्यक सुधार कार्य कर लिये गये हैं, जिसका भौतिक सत्यापन निरीक्षण के दौरान किया गया। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधित आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि, उद्योग द्वारा उत्पादन प्रकिया/उद्योग संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

2. यह कि, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बुरहानपुर द्वारा उद्योग का विद्युत संयोजन किया जा सकेगा।

3. यह कि, संबंधित संस्थान द्वारा उद्योग का जल प्रदाय प्रारंभ किया जा सकेगा।

4. यह कि, उद्योग द्वारा बोर्ड की जल/वायु सम्मति शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा एवं सम्मति शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योग के विरूद्ध पुनः कार्यवाही हेतु बोर्ड स्वतंत्र होगा।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से
एवं उसके लिये

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ०क्र० 2723/क्षे.का.इं./2023 इन्दौर, दिनांक 26/7/2023

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

2. अधीक्षण यंत्री (संचालन एवं संधारण), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर की ओर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित है कि उपरोक्त उद्योग का विद्युत प्रदाय पुनः प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. गार्ड फाईल।

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb indore@rediffmail.com

LiFE Lifestyle For Environment

Annexure – 6

क्र0 1045 /क्षे.का.इं./2024 इन्दौर, दिनांक 21/03/2024

प्रति,

अधिष्ठाता,
मेसर्स रेमानिया टैक्सटाईल,
299/1–2, ग्राम–फतेहपुर, बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने तथा दूषित जल को कच्चे लैगून में एकत्रित रखने एवं सीईटीपी में डिस्पोजल नहीं कराने के कारण पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु सूचना पत्र।

संदर्भ :–
1. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.02.2023 को उद्योग का किया गया निरीक्षण
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 831 दिनांक 06.03.2023
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2079 दिनांक 08.06.2023
4. आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 14.07.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :–

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सभी उद्योगों/संस्थानों को बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना सम्मति किसी प्रकार का निस्सारण/उत्सर्जन प्रतिबंधित है।

3. यह कि, आपके उद्योग द्वारा कपड़े की प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे दूषित जल उत्पन्न होता है। दूषित जल के उपचार एवं नियमानुसार डिस्पोजल व्यवस्था स्थापित रखने एवं संचालित रखने की शर्त के साथ आपके उद्योग को सम्मति दी गई थी।

4. यह कि, बुरहानपुर स्थित टैक्सटाईल उद्योगों से जल प्रदूषण फैलने की प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर एवं जिला कार्यालय खण्डवा के अधिकारियों द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक 17.02.2023 को किया गया था। निरीक्षण में आपके उद्योग में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) बंद पाया गया तथा दूषित जल उद्योग परिसर के बाहर निस्सारित होता हुआ पाया गया। आपके द्वारा फैक्ट्री परिसर के बाहर स्थित कच्चे लैगून/खेतों में दूषित जल का भण्डारण किया गया था, जिसके नमनू जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 21 के प्रावधान अंतर्गत किया गया एवं अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान अंतर्गत आपको विश्लेषण रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रयोगशाला के पत्र क्रमांक 92/क्षेप्रयो/प्रनिबो/23 दिनांक 27.02.2023 द्वारा भेजी गई थी।

5. यह कि उपरोक्त उल्लंघन के कारण आपके उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–क के प्रावधान अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र कमांक 831 दिनांक 06.03.2023 द्वारा उद्योग से उत्पादन बंद करने हेतु सचना पत्र तथा पत्र कमांक 2079 दिनांक 08.06.2023 द्वारा उद्योग को उत्पादन बंद करने के निर्देश दिये गये।

6. यह कि, आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत पत्र कमांक निरंक दिनांक 14.07.2023 द्वारा यह सूचित किया गया था कि दिनांक 21.06.2023 को उद्योग का विद्युत कनेक्शन बुरहानपुर विद्युत मण्डल द्वारा विच्छेदित कर दिया गया है तथा विद्युत बंद हो जाने से प्लांट बंद है।

7. यह कि, उपरोक्त कण्डिका 4,5 एवं 6 के अनुसार आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक 17.02.2023 को किया गया, जिसमें उल्लंघन पाया गया था, उसके उपरांत उद्योग उत्पादनरत् था तथा दिनांक 21.06.2023 को विद्युत प्रदाय बंद होने पर उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य बंद किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन दिनांक 17.02.2023 से दिनांक 21.06.2023 तक किया गया है तथा प्रदूषण की स्थिति निर्मित की गई है, जिससे पर्यावरण प्रभावित हुआ है।

8. यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 22/2024 (हरीश सोलंकी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 द्वारा आपके द्वारा किये गये उल्लंघन के कारण पर्यावरण को हुई क्षति के एवज में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश माननीय अधिकरण द्वारा बोर्ड को दिये गये हैं।

9. यह कि, उपरोक्त कण्डिका–8 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 17.02.2023 से 21.06.2023 तक यानि 124 दिन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार की गई है, जिसका पत्रक संलग्न है। गणना अनुसार रूपये 12,40,000/– की क्षतिपूर्ति उपरोक्त उल्लंघन हेतु आपके द्वारा बोर्ड को जमा करनी होगी।

अतएव् उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये विवरण अनुसार किये गये पर्यावरण मानकों के उल्लंघनों के परिपेक्ष्य में रूपये 12,40,000/– की पर्यावरण क्षतिपूर्ति बोर्ड के निम्नलिखित खाते में 15 दिवस के भीतर जमा करने हेतु आपको सूचना दी जाती है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपका पक्ष रखने हेतु आपको अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपना पक्ष लिखित रूप में पत्र द्वारा अथवा इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि में आपका उत्तर/पक्ष प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

Bank & Branch	Panjab National Bank
Account Number	6310001200000043
Beneficiary Name	Member Secretary
IFSC Code	PUNB0631000

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

क0 1046 /क्षे.का.इं./2023
इन्दौर, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. डॉयरेक्टर पर्यावरण (तकनकी), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

Environmental Compensation Calculation as per CPCB Guidelines "Report of the CPCB in-House Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to utilize the Fund"

1. **Name of the Industry :** M/s Rehmaniya 299/1-2, Village-Fatehpur, District-Burhanpur (M.P.)
2. **Case considered levying Environmental Compensation (EC) :**
   (a) Discharge in violation of consent conditions, mainly prescribed standards/consent limits
3. **For above cases as per guidelines Enviromental Compensation will be calculates as follows :**

EC = PI x N x R x S x LF
where
EC = environmental compensation in Rs.
PI= Pollution Index of Industrial Sector.
N= Number of days of violation took place.
R= A factor in Rs. for EC.
S= Factor for Scale of operation.
LF= Location Factor.

Parrameter	Value	Remark
PI	80	For Red category indusry
N	124	From dated 17/02/2023 to 21/06/2023
R	250	Average value as suggested by guideline.
S	0.5	For small-scale industry.
LF	1.0	Indusry is located within 10 kilometer from Municipal Boundary having population less than 01 Million.

Environment Compensation (EC) = 80x124x250x0.5x1 = 12,40,000/-

Duration	No. of days	EC (in Rupees/day)	Amount in Rs.
17/02/2023 to 21/06/2023	124	10,000	12,40,000/-

Total Amount of EC = 12,40,000/-(Rupees Twelve Lakh Fourty Thousand Only)

(Anikt Baghel)
District-Environment Officer
MPPCB Khandwa

Annexure-7

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 852 /क्षे.का.इं./2024 इन्दौर, दिनांक 05/03/24

प्रति,

जिला वन अधिकारी, (वन मण्डलाधिकारी)
बुरहानपुर, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषयः– माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 22/2024 (CZ) (हरीश सोलंकी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 13.02.2024 को पारित निराकृत आदेश के अनुपालन बाबत्।

संदर्भः– माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 की प्रति संलग्न है, कृपया अंतिम पैरा का अवलोकन करे। आदेश में उल्लेखानुसार शिकायतकर्ता द्वारा वनों की कटाई के संबंध में शिकायत की गई है। आपको पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र कमांक 874 दिनांक 09.03.2023 को उक्त के संबंध में जानकारी चाही गई, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः अनुरोध है कि वृक्षों की कटाई के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के परिपेक्ष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुती हेतु प्रेषित किया जा सके।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

एस.एन. द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इंदौर

पृ. क्र0 853 /क्षे.का.इं./2024 इन्दौर, दिनांक 05/03/24

प्रतिलिपिः–

कलेक्टर (जिला दण्डाधिकारी) बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

एस.एन. द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इंदौर

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 1010 /राहअ./2024 इन्दौर, दिनांक 21/03/2024

प्रति,

जिला वन मंडल अधिकारी
(वन मंडलाधिकारी)
बुरहानपुर, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषयः– माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. ओए.22/2024 (हरीश सोलंकी विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में दिनांक 13.02.2024 को पारित निराकृत आदेश के अनुपालन बाबत्।

संदर्भः–1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 852 दिनांक 05.03.3024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है संदर्भित पत्र के माध्यम से वृक्षों की कटाई के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा सुनवाई की आगामी तिथि 05.04.2024 निर्धारित की गई है। अतः कृपया रिपोर्ट शीध्र प्रेषित करने का अनुरोध हैं ताकि प्रतिवेदन समयावधि में माननीय अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया जा सके।

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

O/C (एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ. क्र0 1011 /राहअ./2024 इन्दौर, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, बुरहानपुर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री अंकित बघेल, जिला पर्यावरण अधिकारी, खंडवा की ओर निर्देशित है कि शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने का कष्ट करें।

O/C (एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

NGT-15

Annexure-9

मप्र वन विभाग

कार्यालय
वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर (म.प्र.)

Mob. No. 9424793075 E-Mail - dfotbpur@mp.gov.in

क्रमांक / स्टेनो / 2024 / 1334 बुरहानपुर, दिनांकः 27 MAR 2024

1181
28/03/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर

विषय : माननीय NGT भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 22/2024 (CZ), (हरीश सोलंकी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दि. 13/02/2024 को पारित निराकृत आदेश के अनुपालन बाबत्।

संदर्भ : मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्र. 748/ विधि./ NGT(CZ)/ प्रनिबो दि. 23/02/2024 एवं 852 दि. 05/03/24

उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय NGT भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 22/2024 (CZ), (हरीश सोलंकी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दि. 13/02/2024 को पारित निराकृत आदेश के संबंध में चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2022 में वनमंडल बुरहानपुर के वन परिक्षेत्र नावरा में अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वनों की अवैध कटाई की गई।

- वर्ष 2022 के अक्टूबर माह से नावरा परिक्षेत्र के बाकड़ी, सीवल, घाघरला, पानखेड़ा, साँईखेड़ा, नीमसेठी आदि क्षेत्रों में 800 – 1000 अतिक्रमणकारियों द्वारा सामुहिक रुप से बड़े पैमाने पर वनों की अवैध कटाई करना प्रारंभ की गई
- उक्त अतिक्रमणकारी तीर, गोफन, पत्थर, कुल्हाड़ी, फालिया और बंदूकों से लैस रहते थे
- अतिक्रमणकारियों द्वारा वनकर्मियों पर अनेक बार प्राण-घातक हमले किए गए जिससे वनकर्मियों में वन में घुसने पर भी भय व्याप्त हो सके
- वन अतिक्रमणकारिय़ों द्वारा निरंतर वनों की कटाई की जा रही थी साथ ही वन से लगे हुए ग्रामों में हथियारों से लैस होकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता था जिससे वनकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों में भी उनका भय व्याप्त हो सके
- अतिक्रमणकारियों द्वारा वनचौकी बाकड़ी में हमला कर बंदूकों एवं कारतूसों को लूटा गया
- अतिक्रमणकारिय़ों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई जिसकी प्रतिक्रिया में उनके द्वारा थाना नेपानगर पर हमला कर गिरफ्तार किये गए आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने की घटना को अंजाम दिया गया
- अतिक्रमणकारियों की उक्त घटनाएँ न केवल वन-विभाग के लिये़ चुनौती बन गई थी, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी थी।

वनमंडल बुरहानपुर के नावरा परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

- उक्त घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आस-पास के वनमंडलों से स्टाफ बुलाकर सामूहिक गश्ती कराई गई परंतु अतिक्रमणकारियों के द्वारा वनकर्मियों पर लगातार प्राण-घातक हमले किए गये जिससे वनकर्मियों का वनक्षेत्र में प्रवेश कर पाना मुश्किल हो गया
- चूंकि अब स्थिति ला एंड आर्डर के लिए चुनौती बन गई थी इस लिए विभाग द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही करना एक अंतिम विकल्प था
- जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तथा वन बल तीनों की संयुक्त कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कर्यवाही की गई
- वन अतिक्रमण माफिया द्वारा ग्राम सीवल और बाकड़ी के बीच में लकड़ी के 700-800 अस्थाई टप्पर बनाकर अपना डेरा जमाया गया था जिसमें उनके द्वारा आम लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया था
- वन माफिया के इतने बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु संयुक्त कार्यवाही की रणनीति बनाई गई जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस बल

मप्र वन विभाग

- एवं वन बल तीनों के द्वारा माह अप्रेल 2023 में 7 दिन तक लगातार वन माफिया एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें उनके द्वारा बनाए गए 700-800 टप्परों को तोड़ा गया और उनको वनक्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया गया
- उक्त संपूर्ण कार्यवाही में लगभग 150 अतिक्रमणकारियों की गिरफ्तारियाँ की गई और उन्हें जेल भेजा गया।
- वनमंडल अंतर्गत अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटाई में संलिप्त जागृत आदिवासी दलित संगठन जैसे संगठन के पदाधिकारियों को जिलाबदर करने की कार्यवाही – माधुरी बेन, अंतराम अवासे आदि।
- वन सुरक्षा के लिये ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति की सक्रियता को बढाना।
- पुलिस और प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन कर अतिक्रमण हटाने की योजना बनाना।
- कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित कर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराना।
- नये अतिक्रमण के प्रयासों पर प्रबल एवं Demonstrative कार्यवाही करना।
- अति संवेदनशील क्षेत्र में वन अमलें की उपस्थिति को दिखाने के लिये वॉच टॉवर का निर्माण करना।
- अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण की दृष्टि से अति संवदेनशील क्षेत्रों में प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग कर निगरानी की जा रही है
- वनक्षेत्रों के आंतरिक मार्गो पर वाहनों से नाईट पेट्रोलिंग करना।
- निरंतर वन क्षेत्र में ड्रोन को उडाकर निगरानी एवं अतिक्रमणकारियों की गतिविधियों की मानिटरिंग कर नियंत्रण करना।

वनमंडल बुरहानपुर के नावरा परिक्षेत्र में अतिक्रमण से प्रभावित वनक्षेत्र का उपचार

- अतिक्रमणकारियों द्वारा की गई कटाई से प्राप्त कीमती वनोपज को डिपो परिवहन कराने की कार्यवाही की गई
- काटे गये वृक्षों के ठूंठों की ड्रेसिंग का कार्य किया गया जिससे पुनः कापिस प्राप्त हो सके
- रिक्त वन भूमि पर अतिक्रमणरोधी खंतियाँ खोदकर उनकी पाल पर बीज बुआई कार्य किया गया
- रुट-शूट रोपण कार्य किया गया
- प्रभवित क्षेत्र को चेनलिंक जाली से घेरकर सुरक्षित किया गया
- नावरा परिक्षेत्र में कैम्पा मद से 615 है. और विकास मद से 265 है. कुल 880 है. में रुट-शूट रोपण कार्य किया गया
- आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 है. क्षेत्र में रुट-शूट रोपण प्रस्तावित किया गया है

वनमंडल बुरहानपुर में विगत 2 वर्षो में वन स्टाफ पर हमलें की 7 बड़ी एवं 50 से ज्यादा छोटी घटनाएं हो चुकी है जिसके प्रत्युत्तर में विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 150 अपराधियों पर पुलिस केस दर्ज कर जेल भेजा गया एवं 180 अपराधियों पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर कार्यवाही की जा रही है। अतः उपरोक्त संबंध में प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
बुरहानपुर (म.प्र.)